

75/18  
22.5.18

AC/MS  
A

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीठासीन अधिकारी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश:-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	शामलीवा काणी	48	योगेश्वर मोहन	शुभलकिशोर कुमार मोहन शर्मा



(  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर,

दिनांक :- 22/5/18

कमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,